अध्याय–I

परिचय

1.1 बजट रूपरेखा

राज्य में 39 विभाग एवं 49 स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण हैं। वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य शासन द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का विवरण **तालिका 1.1** दिया गया है।

तलिका 1.1: 2011–16 के दौरान राज्य शासन के बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य व्यय	6146	5904	7240	6649	7618	7851	8539.66	9041.58	10620.69	10408.76
सामाजिक सेवायें	11860	10477	13360	11456	15806	14282	18751.57	15388.85	21285.62	16339.35
आर्थिक सेवायें	5844	5560	7072	8012	10736	9756	17918.85	14152.22	20755.71	16052.54
सहायता अनुदान एवं अंशदान	619	687	748	854	856	970	980.70	978.64	1067.78	900.41
योग (1)	**24469**	**22628**	**28420**	**26971**	**35016**	**32859**	**46190.78**	**39561.29**	**53729.80**	**43701.06**
पूंजीगत अनुभाग										
पूंजीगत परिव्यय	5077	4056	7190	4919	7230	4574	8347.47	6544.25	11000.25	7945.01
संवितरित ऋण तथा अग्रिम	1187	1269	1964	1889	1924	1319	171.85	88.32	282.87	164.73
अंतर राज्य हस्तांतरण	00	04	00	–1	00	05	0.10	1.22	0.00	0.49
लोक ऋण की अदायगी	1043	853	1247	1039	933	690	1229.53	1336.73	1082.87	1250.18
आकस्मिकता निधि	40	00	40	00	40	00	00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा संवितरण	63386	32940	85875	38527	95330	43434	91976.59	49933.47	92244.88	54000.89
अंतिम नगदी शेष	00	2701	00	2117	00	2735	–1964.87	1218.38	–181.23	2833.72
योग (2)	**70733**	**41823**	**96316**	**48490**	**105457**	**52757**	**99760.67**	**59122.37**	**104429.64**	**66195.02**
महायोग (1 एवं 2)	**95202**	**64451**	**124736**	**75461**	**140473**	**85616**	**145951.50**	**98683.66**	**158159.44**	**109896.08**

(स्त्रोत :– वार्षिक वित्त विवरण एवं राज्य बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन)

1.2 राज्य शासन के संसाधनों का उपयोग

वर्ष 2015–16 में ₹ 74,340 करोड़ के कुल बजट प्रावधान[1] के विरूद्ध राज्य की संचित निधि से वर्ष 2015–16 में कुल व्यय[2] ₹ 51,811 करोड़ किया गया। वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य शासन का कुल व्यय 85 प्रतिशत बढ़कर ₹ 27,957 करोड़ से ₹ 51,811 करोड़ हो गया, राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 2011–16 में ₹ 22,628 करोड़ से 93 प्रतिशत बढ़कर ₹ 43,701 करोड़ हो गया। वर्ष 2011–16 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 84 प्रतिशत बढ़कर ₹ 12,624 करोड़ से ₹ 23,172 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 96 प्रतिशत बढ़कर ₹ 4,056 करोड़ से ₹ 7,945 करोड़ हो गया।

वर्ष 2011–16 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 80 से 85 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय का हिस्सा 12 से 15 प्रतिशत था। इस अवधि में कुल व्यय की वृद्धि 12.16 प्रतिशत एवं 22.21 प्रतिशत के बीच थी जबकि राजस्व प्राप्ति की वृद्धि 8.36 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत के बीच थी।

---

1 मांग अनुदान ₹ 67,546 करोड़ तथा अनुपूरक अनुदान ₹ 6,794 करोड़ सम्मिलित है

2 कुल व्यय में राजस्व व्यय, पुंजीगत व्यय, ऋण एवं अग्रिम तथा अंतर राज्य हस्तांतरण सम्मिलित है

1.3 अनवरत बचतें

पिछले पाँच वर्षों के दौरान 11 प्रकरणों (10 अनुदान) में प्रति अनुदान में ₹ 10 करोड़ से अधिक की अनवरत बचतें रही जैसा कि **तालिका 1.2** में विवरण दिया गया है:–

तालिका 1.2: 2011–16 के दौरान अनवरत बचत सहित अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

स. क.	संख्या तथा अनुदान/विनियोग का नाम		बचत राशि (कोष्टक में कुल अनुदान का प्रतिषत)				
			2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
राजस्व दत्तमत							
1	10	वन	39.06 (6.19)	73.40 (10.93)	73.09 (9.98)	57.65 (7.34)	105.70 (11.62)
2	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	13.16 (4.19)	30.78 (10.26)	54.68 (16.89)	90.03 (19.21)	50.24 (12.80)
3	41	आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	641.76 (20.31)	629.07 (17.03)	1,072.97 (22.82)	2,393.70 (28.82)	3,146.19 (32.93)
4	44	उच्च शिक्षा	139.25 (35.12)	146.54 (33.72)	140.49 (26.47)	186.97 (32.90)	132.05 (22.20)
5	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबधित व्यय	141.60 (20.79)	156.44 (21.16)	115.87 (17.78)	229.20 (28.01)	286.11 (31.51)
6	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	397.67 (34.22)	284.43 (23.49)	398.96 (26.98)	932.09 (30.94)	1,148.10 (34.79)
7	79	चिकित्सा शिक्षा से संबंधित व्यय	60.89 (24.77)	56.11 (21.69)	84.63 (25.94)	68.11 (18.85)	66.00 (16.96)
पूंजीगत दत्तमत							
8	41	आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	592.70 (40.33)	734.34 (37.91)	626.73 (31.00)	808.73 (41.50)	686.97 (29.19)
9	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़क एवं सेतु	232.71 (58.54)	234.80 (51.05)	185.03 (40.78)	81.59 (19.48)	372.00 (47.59)
10	67	लोक निर्माण कार्य–भवन	263.74 (72.35)	149.14 (42.88)	124.31 (31.30)	56.81 (15.21)	125.66(20.55)
11	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन	57.10 (45.14)	74.24 (40.71)	67.02 (36.29)	46.83(20.21)	20.87 (10.15)

(स्त्रोतः– संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

विगत वर्षों में समुचित संख्या में अनुदानों में बचत शासन के द्वारा पूर्व वर्षों के रूझानों तथा आवश्यकता के समुचित आकलन एवं व्यय के बहाव की समीक्षा किए बिना ही विनियोग लेखा में निधि की आवश्यकता के अधिक आकलन को इंगित करता है।

1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण नीचे **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है:–

तालिका 1.3: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
आयोजनेत्तर अनुदान	1545.07	1227.29	1415.78	1568.28	2328.79
राज्य आयोजना योजनाओं के लिये अनुदान	1930.51	2112.69	2121.47	6435.44	4775.83
केन्द्रीय आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	61.75	107.28	43.34	131.73	91.37
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	1238.88	1263.07	1145.57	852.35	865.60
योग	**4776.21**	**4710.33**	**4726.16**	**8987.80**	**8061.59**
विगत वर्षों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	7.24	(–) 1.38	0.34	90.17	(–)10.31
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	18.46	15.93	14.75	23.66	17.50
राजस्व प्राप्तियाँ	25867	29578	32050	37988	46068

(स्त्रोतः– संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2015–16 के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की मांगे वर्ष 2014–15 के 8,987.80 करोड़ से 10.31 प्रतिशत घटकर 8,061.59 करोड़ थी। इसका कारण विगत वर्ष की तुलना में राज्य एवं केन्द्रीय आयोजना योजनाओं में अनुदान में कमी होना था।

1.5 योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

गतिविधियों की क्लिष्टता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हितधारकों के चिंतनों तथा विगत लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर आधारित विभिन्न शासकीय विभागों/संगठनों/स्वायत्त निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिम आकलन के साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इन जोखिमों के आकलन के आधार पर, लेखापरीक्षा की बारंबारता तथा सीमा का निर्णय किया जाता है और एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा के द्वारा लेन–देनों के नमूना जाँच के माध्यम से शासन के विभागों का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन किया जाता है। लेखापरीक्षा पूर्ण किये जाने के पश्चात, कार्यालय प्रमुख को चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के निवेदन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समावेशित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) अगले उच्च अधिकारी को पृष्ठांकन के साथ जारी किया जाता है। जैसे ही उत्तर प्राप्त होता है लेखापरीक्षा निष्कर्ष या तो निराकृत की जाती है अथवा अनुपालन हेतु आगे की कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही की जाती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं।

2015–16 के दौरान, राज्य के 221 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा दो स्वायत्त निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त, आठ निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा भी किये गये।

1.6 निरीक्षण प्रतिवेदन पर शासन द्वारा प्रतिक्रिया का अभाव

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा लेन–देनों के नमूना जाँच और निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखांकनों व अन्य अभिलेखों के संधारण के सत्यापन द्वारा शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों के उपरांत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किया जाता है। जब लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान पाये गए महत्वपूर्ण अनियमितताओं आदि का निराकरण वहीं पर नहीं किया जाता है तो ये निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित कार्यालय प्रमुख और अगले उच्च प्राधिकारी को जारी किये जाते हैं।

कार्यालय प्रमुख और अगले उच्च प्राधिकारी को इस निरिक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति से चार सप्ताह के भीतर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें हुई जिनमें 150 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 540 कंडिकाओं पर चर्चा की गई जिसमें से 58 निरीक्षण प्रतिवेदनों और 301 कंडिकाओं का निराकरण किया गया।

उक्त प्रक्रिया के बावजूद 30 सितंबर 2016 की स्थिति में 3,521 निरीक्षण प्रतिवेदनों के ₹ 23,170.56 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ की 14,310 कंडिकाएं लंबित हैं, जैसा कि **तालिका 1.4** में वर्णित है।

तालिका– 1.4 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन कंडिकाएं

स. क्र.	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएं	सम्मिलित राषि (₹ करोड़ में)
1	सामान्य	437	1444	2503.31
2	सामाजिक	1815	7209	12044.46
3	आर्थिक	1269	5657	8622.79
योग		**3521**	**14310**	**23170.56**

(स्त्रोतः जानकारी लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

3,521 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 14,310 कंडिकाओं की वर्षवार स्थिति **परिषिष्ट 1.1** तथा अनियमितताओं के प्रकार **परिषिष्ट 1.2** में वर्णित है।

विभागीय अधिकारियों ने 3,521 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 14,310 लंबित कंडिकाओं के विरूद्ध मात्र 3,387 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 13,294 कंडिकाओं के संबंध में ही प्रारंभिक उत्तर प्रस्तुत किए। निरीक्षण प्रतिवेदनों में समावेशित अवलोकनों पर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही करने में वे असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षय हुआ।

ये अनुशंसित है कि लेखापरीक्षा अवलोकनों पर त्वरित और उपयुक्त प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु शासन इस विषय पर ध्यान दे।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यप्रणाली की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार प्रशासकीय विभागों को नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए बिना इसके कि लोक लेखा समिति के द्वारा इन्हें जाँच हेतु लिया गया है अथवा नहीं। उन्हें विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के छः माह के अंदर उठाये गए अथवा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्यवाही को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा द्वारा यथावत जांच के पश्चात् विस्तृत टिप्पणियाँ प्रस्तुत करना होता है।

30 दिसम्बर 2016 की स्थिति में 31 मार्च 2016 के अंत तक की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर प्राप्त ऐक्शन टेकन नोट्स (एटीएन) की स्थिति **तालिका–1.5** में दर्शाई गई है:

तालिका–1.5: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर एटीएन की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	31 अगस्त 2016 तक लंबित एटीएन	राज्य विधानसभा में प्रस्तुतिकरण दिनांक	एटीएन प्राप्ति का देय दिनांक
सामान्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	2011–12	14	00	17 जुलाई 2013	16 नवम्बर 2013
	2012–13	14	00	25 जुलाई 2014	24 नवम्बर 2014
	2013–14	14	00	25 जुलाई 2015	24 नवम्बर 2015
	2014–15	10	09	31 मार्च 2016	30 जुलाई 2016
राज्य वित्त	2011–12	39	00	22 मार्च 2013	21 जुलाई 2013
	2012–13	39	00	25 फरवरी 2014	24 जून 2014
	2013–14	39	35	26 मार्च 2015	25 जुलाई 2015
	2014–15	39	62	31 मार्च 2016	30 जुलाई 2016

(स्त्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

1.8 सार्थक लेखापरीक्षा अवलोकनों (प्रारूप कंडिका/समीक्षा) पर शासन की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा द्वारा अपने प्रतिवेदनों में विविध कार्यक्रम/क्रियाकलापों के कार्यान्वयन में कमी के साथ–साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता में कई सार्थक कमियों को उजागर किया है जिनका नकारात्मक प्रभाव कार्यक्रम की सफलता और विभाग के कार्यकलाप पर था। विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा और कार्यकारियों को सुधारात्मक कदम उठाने एवं नागरिकों को प्रदायित सेवा में सुधार लाने के लिए उपयुक्त अनुशंसायें देने पर फोकस था।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखा एवं लेखापरीक्षा नियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/प्रारूप कंडिकाओं पर छः सप्ताह के अन्दर विभागों को अपना उत्तर प्रेषित करना वांछित है। उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये जाने वाले इन कंडिकाओं को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था अतः यह वांछित है कि प्रकरण पर उनकी टिप्पणियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जावे। उन्हें प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा हेतु महालेखाकार से मीटिंग करने हेतु भी सलाह दी गई थी। प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने हेतु इन प्रस्तावित प्रारूप प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु आठ निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सात लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रारूप को संबंधित प्रशासकीय सचिवों को अग्रेषित किया गया था। इनके विरूद्ध, आठ निष्पादन लेखापरीक्षा एवं पाँच प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर शासन से प्राप्त हुए हैं।

1.9 स्वायत्त् निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्थिति

राज्य में 24 स्वायत्त निकाय[3] हैं जिसमें से दो स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा को सौंपने तथा स्वायत्त निकायों द्वारा प्रस्तुत लेखों की स्थिति **तालिका–1.6** में दर्शायी गई है:

तालिका–1.6 लेखों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

स. क्र	निकाय का नाम	निकाय द्वारा सौंपने की अवधि	लेखा प्रस्तुत करने की अवधि	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने की अवधि	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका में प्रस्तुतिकरण
1	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवायें प्राधिकरण, बिलासपुर	2007–08 से 2011–12	2011–12	2011–12	अब तक प्रस्तुत नहीं
2	छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल रायपुर	2007–08 से 2011–12	2009–10	2009–10	अब तक प्रस्तुत नहीं

(स्त्रोतः जानकारी लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

लेखाओं के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधानसभा को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति में अत्याधिक विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप उन स्वायत्त निकायों के क्रियाकलाप की समीक्षा में भी विलम्ब हुआ जिसमें शासन के द्वारा निवेश किया गया था। क्रियाकलाप की समीक्षा में विलम्ब के अलावा वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने में भी विलम्ब हुआ।

---

[3] सामान्य क्षेत्र – 1; सामाजिक क्षेत्र – 13 तथा आर्थिक क्षेत्र - 10

1.10 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर की गई वसूलियाँ

केन्द्रीय लेखापरीक्षा के दौरान, राज्य सरकार के विभागों के लेखाओं के नमूना जाँच में पायी गई वसूलियों का सत्यापन एवं अगामी कार्यवाही की जानकारी लेखा परीक्षा को सूचित करने हेतु विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को संदर्भित किया गया था।

वर्ष 2015–16 के कुल 29 प्रकरणों में ₹ 16.86 करोड़ की इंगित की गई वसूली के विरूद्ध 19 प्रकरणों में कुल ₹ 5.87 करोड़ की वसूली की गई, जिसका विवरण **तालिका–1.7** में दिया गया है:

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूलियां जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकृत/वसूल किया गया

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	लेखा परीक्षा के दौरान अंकित वसूलियों और वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग द्वारा स्वीकृत		2015–16 के दौरान प्रभावित वसूलियाँ (पूर्व वर्षों से संबंधित वसूलियाँ)		विभाग का नाम	पाई गई वसूलियों का विवरण
	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राषि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राषि		
सामान्य क्षेत्र	04	0.05	02	0.001	जनसंपर्क तथा गृह (पुलिस) विभाग	गृह भाड़ा का अनियमित भुगतान, लंबित अग्रिम वेतन
आर्थिक क्षेत्र	09	5.34	06	4.35	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	गृह भाड़ा एवं अन्य भत्तों का अनियमित भुगतान, ट्यूशन फीस जमा न किया जाना, ठेकेदार से वसूली की गई शास्ति जमा न करना, एनजीओ को अधिक भुगतान, ठेकेदारों को मूल्यवृद्धि का अधिक भुगतान।
सामाजिक क्षेत्र	16	11.47	11	1.52	मत्स्य पालन, सहकारिता, उड्डयन, लोक निर्माण विभाग	मत्स्य बीज के कय हेतु अधिक भुगतान, ऑडिट फीस एवं अस्थाई अग्रिम की विलंबित वसूली, अनियमित भुगतान विलंब हेतु शास्ति, निम्न गुणवत्ता के कार्य का निष्पादन, सड़क निर्माण कार्य में सामग्रियों की गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव, रायल्टी, डामर की लागत
योग	**29**	**16.86**	**19**	**5.87**		

(स्त्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)